प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

30 नवंबर 2023

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – अक्तूबर 2023

अक्तूबर 2023[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में अक्तूबर 2023[3] में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 18.3 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण[3] के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि एक वर्ष पहले के 13.8 प्रतिशत से बढ़कर अक्तूबर 2023 में 17.5 प्रतिशत (व-द-व) हो गई।
- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण अक्तूबर 2022 के 13.5 प्रतिशत की तुलना में अक्तूबर 2023 में 5.4 प्रतिशत (व-द-व) बढ़ा। प्रमुख उद्योगों में, 'मूल धातु और धातु उत्पाद', 'खाद्य प्रसंस्करण' एवं 'कपड़ा' हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि (व-द-व) अक्तूबर 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि 'सभी इंजीनियरिंग', 'रसायन और रासायनिक उत्पाद' एवं 'अवसंरचना' की ऋण वृद्धि में गिरावट आई।
- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में एक वर्ष पहले के 22.5 प्रतिशत की तुलना में अक्तूबर 2023 में 20.1 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई, जिसमें 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' और 'व्यापार' का प्रमुख योगदान रहा।
- आवास हेतु प्रदत्त ऋण की वृद्धि में कमी आने की वजह से, वैयक्तिक ऋण की वृद्धि अक्तूबर 2023 (एक वर्ष पहले 20.5 प्रतिशत) में घटकर 18.0 प्रतिशत (व-द-व) रह गई।

अजित प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1371

---

[1] आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

[2] खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा – 42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

[3] किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।